

# कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.)



3

प्ररूप-5

(नियम 9 (7) देखिए)

कालोनी विकास की अनुमति

अनुज्ञा क्रमांक-143

दिनांक 10/06/2019

प्र0क्र0 19/अ-74/2019-20

मध्यप्रदेश पंचायत राज एव् ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) और उसके अधीन बनाए गए "मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम, 2014 के अधीन एतद् द्वारा ग्राम देवगुराडिया तहसील व जिला इन्दौर में कालोनी विकसित करने की अनुज्ञा दी जाती है:-

श्री/श्रीमती श्रीमती नीना देवी पति श्री विनोद अग्रवाल  
निवासी - अग्रवाल हाउस, द्वितीय तल, 5 वाय.एन.रोड, इन्दौर को  
ग्राम का नाम - ग्राम देव गुराडिया, तहसील इन्दौर  
सर्वे नम्बर - भूमि सर्वे नम्बर 115/1 रकबा 1.619 हेक्टैयर, सर्वे नं. 115/2 रकबा 2.193 हेक्टैयर  
कुल रकबा 3.812 पैकी 3.687 हेक्टैयर

निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए कालोनी विकास अनुज्ञा प्रदान की जाती है:-

- 1- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (20 सन् 1959) के उपबंधों के अधीन भूमि के व्यवर्तन के लिए लागू शर्तों का अक्षरशः पालन करना होगा।
- 2- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) के अधीन विकास हेतु अनुज्ञा के अधीन लागू शर्तों का पालन करना होगा।
- 3- विकास/निर्माण में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय समूहों के लिए भवनों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी।
- 4- नगर भूमि सीमा तथा नियंत्रण अधिनियम, 1976 के उपबंधों के अधीन सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा से अनापत्ति प्रमाण पत्र में वर्णित शर्तों का पालन करना होगा।
- 5- नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के स्थल मानचित्र स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्त अनुसार वन एवं पर्यावरण द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार पर्यावरण स्वीकृति एवं अन्य उल्लेखित अनुमतियाँ ली जाना अनिवार्य होगा।
- 6- आवेदित भूमि के आस-पास की भूमि या शासकीय भूमि पर अतिक्रमण एवं विकास कार्य नहीं किया जावेगा।
- 7- कालोनी का विकास कार्य तीन वर्ष की अवधि में पूर्ण कराना अनिवार्य होगा।
- 8- कालोनी विकास पेटे धरोहर के रूप में भूखण्ड क्रमांक- 1 से 21(21), 126 से 145(20), 168 से 191(24), 252 से 258(7), कुल 72 (जिनका क्षेत्रफल 5523.26 वर्गमीटर) बंधक रखे गये हैं। उक्त भूखण्ड को इस कार्यालय की सक्षम अनुमति के बगैर विक्रय नहीं किया जावेगा।

(लोकेश कुमार जाटव)

कलेक्टर,

सक्षम प्राधिकारी,

जिला इन्दौर

जिला इन्दौर (म.प्र.)

प्रतिलिपि:-

- 1- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला इंदौर ।
- 2- अनुविभागीय अधिकारी, भिचोली हप्सी, इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- उप पंजीयक, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- ✓ 4- श्रीमती नीनादेवी अग्रवाल, अग्रवाल हाउस, द्वितीय तल, 5 यशवंत कॉलोनी, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।



कलेक्टर

जिला इंदौर

जिला इन्दौर (म. प्र.)



## कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक /  
प्रति, /करी / 2019

इन्दौर, दिनांक जून 2019


जिला पंजीयक,  
पंजीयन विभाग  
मोती तबेला इंदौर

विषय:- श्रीमती नीनादेवी अग्रवाल को कालोनी विकास अनुमति अन्तर्गत धरोहर के रूप में बंधक रखे गये भू-खण्डों की रजिस्ट्री नहीं करने बाबद।

—0—

विषयांतर्गत आवेदक श्रीमती नीनादेवी पति विनोद कुमार अग्रवाल, निवासी अग्रवाल हाउस, द्वितीय तल, 5 यशवंत कॉलोनी, वाय.एन.रोड, इन्दौर को ग्राम देवगुराडिया, तह. व जिला इन्दौर की भूमि सर्वे सर्वे नम्बर 115/1 रकबा 1.619 सर्वे नम्बर 115/2 रकबा 2.193 हेक्टैरर कुल रकबा 3.812 पैकी 3.687 हेक्टैयर पर कालोनी विकास की अनुमति प्रदान की गई है।

उक्त कालोनी में आवेदक द्वारा भूखण्ड क्रमांक- 1 से 21(21), 126 से 145(20), 168 से 191(24), 252 से 258(7), कुल 72 (जिनका क्षेत्रफल 5523.26 वर्गमीटर) बंधक रखे गये हैं। बंधक नामा उप पंजीयक, इन्दौर-2 के कार्यालय में दिनांक 20.02.2019 को निष्पादित किया गया है। उक्त भूखण्ड की खरीदी, बिक्री व रजिस्ट्री आगामी आदेश तक बिना समक्ष अनुमति के नहीं की जावे।

  
(लोकेश कुमार जाटव)  
कलेक्टर  
जिला इन्दौर

पृष्ठांकन क्रमांक / 633 / करी / 19

इंदौर, दिनांक 10 जून 2019

प्रतिलिपि:-

- 1- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला इंदौर ।
- 2- अनुविभागीय अधिकारी, भिचोली क्षेत्र जिला इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- उप पंजीयक, इन्दौर-2 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4- श्रीमती नीनादेवी पति विनोद कुमार अग्रवाल, निवासी अग्रवाल हाउस, द्वितीय तल, 5 यशवंत कॉलोनी, वाय.एन.रोड, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

  
कलेक्टर  
जिला इंदौर  
जिला इन्दौर (म. प्र.)



## कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

### विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश पंचायत राज एव् ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) और उसके अधीन बनाए गए "मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम, 2014 के अंतर्गत निम्नलिखित आवासीय कालोनी को इस कार्यालय द्वारा विकास अनुमति प्रदान की गई है:-

अ.क्र.	कालोनाईजर का नाम व पता	स्थान जहां के लिए विकास अनुमति जारी की गई है	धरोहर के रूप में बंधक रखे गये भूखण्डों का विवरण
1	2	3	4
1	श्रीमती नीनादेवी पति विनोद कुमार अग्रवाल, निवासी अग्रवाल हाउस, द्वितीय तल, 5 यशवंत कॉलोनी, वाय.एन. रोड, इन्दौर	ग्राम देवगुराडिया, तह. व जिला इन्दौर की भूमि सर्वे नम्बर 115/1 रकबा 1.619 सर्वे नम्बर 115/2 रकबा 2.193 हेक्टैयर कुल रकबा 3.812 पैकी 3.687 हेक्टैयर	भू-खण्ड क्र. 1 से 21(21), 126 से 145(20), 168 से 191(24), 252 से 258(7), कुल 72 (जिनका क्षेत्रफल 5523.26 वर्गमीटर) बंधक रखे गये है

उपरोक्त कालम नंबर-4 में उल्लेखित 72 भूखण्ड इस कार्यालय में धरोहर के रूप में बंधक रखे गये है अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूखण्डों का क्रय, विक्रय आगामी आदेश तक नहीं किया जावे। उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता से प्राप्त की जा सकती है।

( लोकेश कुमार जाटव )  
कलेक्टर  
जिला इन्दौर

क्रमांक /634/ करी / 2019

इन्दौर , दिनांक 10/06/19

### प्रतिलिपि

श्रीमती नीनादेवी पति विनोद कुमार अग्रवाल, निवासी अग्रवाल हाउस, द्वितीय तल, 5 यशवंत कॉलोनी, वाय.एन.रोड, इन्दौर की ओर उक्त विज्ञप्ति का सर्वाधिक प्रकाशित दो समाचार पत्रों में किया जाकर प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करे।

कलेक्टर  
जिला इन्दौर  
जिला इन्दौर (म. प्र.)